

जनपद पुलिस द्वारा पम्पिंग सेट (इंजन) चोरी के आरोप में वांछित 03 अभियुक्तगण  
गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री रामप्रकाश** के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षणाधीन क्षेत्राधिकारी **श्री अरुण कुमार चौरसिया** व प्रभारी निरीक्षण थाना बखिरा **श्री रोहित प्रसाद** के कुशल नेतृत्व में **थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 28 / 2021 धारा 379 भादवि** में वांछित 03 अभियुक्त 1- सुनील यादव पुत्र बीरबल यादव 2- अनिल यादव पुत्र अशोक यादव निवासीगण कोड़री थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 3- रामकिशुन निषाद पुत्र रमपति निषाद निवासी डिहुलिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 20.01.2021 को वादी श्री भगेलू यादव पुत्र स्व0 कोदई यादव निवासी भगवानपुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर का पम्पिंग सेट इंजर चुरा ले गये थे जिसके समंबन्ध में वादी द्वारा दिनांक 30.01.2021 को थाना बखिरा पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया। उक्त चोरी की घटना की संवेदनशीलता के क्रम में आज दिनांक 31.01.2021 को उ0नि0 पवन कुमार शुक्ल, उ0नि0 आनन्द प्रकाश, हे0कां0 गोपाल, हे0कां0 इरशाद अहमद, कां0 भूपेन्द्र दुबे द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 25 लीटर अवैध  
कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

**थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 15 लीटर कुल अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1 – कन्हैया साहनी पुत्र अलगावन निवासी बेलघाट खुर्द थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2- हीरालाल पुत्र स्व0 बलराम जयसवाल निवासी उत्तरपट्टी थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 28 / 2021 व 29 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।**

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता रामकैल मल्लाह पुत्र रामलखन निवासी सइनगरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 27 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

### शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

### पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2545 द्वारा विवाद मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया अस्पताल - पीआरवी 2545 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत पूर्वी पठान टोला से इवेन्ट संख्या 08730 से कालर ने मारपीट / विवाद संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 10 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर दोनों पक्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली खलीलाबाद को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांतकराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ** – मुख्य आरक्षी रमेश सिंह, मु0आ0म0 प्रेमा, मु0आ0म0 माधुरी मिश्रा, मु0आ0चा0 भीमसेन सिंह

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 32 वाहनो से 23500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 31.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 32 वाहनो से 23500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

**जनपद - संतकबीरनगर                      प्रेस विज्ञप्ति                      दिनांक 31-01-2021**

**प्रभारी यातायात द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पढ़ाया गया पाठ वितरित किए पम्पलेट**

आज दिनांक 30.01.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी यातायात **श्री गयादत्त मिश्र** पर्यवेक्षण में “**राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह** ” के दृष्टिगत को यातायात नियमों के जागरूकता के क्रम प्रभारी यातायात **संतोष कुमार मिश्र** द्वारा शहर खलीलाबाद के क्षेत्र स्थित समस्त चौराहों पर सड़क एव यातायात के नियमों के बारे जागरूक किया गया व उन्हें वाहन चलाते समय हेल्मेट लगाना, शीट बेल्ट पहनना, नशे के हालात में वाहन न चलाना, वाहनों को अधिक गति से न चलाना, वाहनों पर स्वीकृत से अधिक सवारियां न बैठाने व वैध ड्राइविंग लाइसेंस लेकर ही वाहन चलाने के साथ साथ वाहनों को निर्धारित पार्किंग पर खड़ी करने हेतु जागरूक किया गया **साथ ही यातायात जागरूकता के क्रम मे पम्पलेट भी वितरित किया गया** । वाहन चालकों को इन नियमों के पालन करने हेतु अपने परिवार व आस-पास के लोगों को जागरूकता हेतु प्रेरित करने की संकल्प भी दिलाया गया । इस मौके पर यातायात पुलिस के एचसीपी श्री जगदम्बा गुप्ता, एच0सी0पी0 अनिल शर्मा, एच0सी0पी0 भोला प्रसाद एच0सी0पी0 नन्द लाल, का0 कृष्णानन्द पाण्डेय व यातायात पुलिस के अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे ।